मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XX अंक 3 जून 2024

एमसीआईआर

I. मौद्रिक नीति

7 जून 2024 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने 7 जून 2024 को मौद्रिक नीति वक्तव्य दिया। अपने मुख्य भाषण में गवर्नर ने उल्लेख किया कि हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था कई संकटों से गुज़री है, जिससे विश्वभर के देशों के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बना है। इन वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूत बुनियादी ढांचे, वित्तीय स्थिरता और सकारात्मक संवृद्धि की गति का प्रदर्शन किया है। तथापि, हमें इस अस्थिर वैश्विक माहौल में सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे रिज़र्व बैंक अपने शताब्दी वर्ष, आरबीआई@100 की ओर बढ़ रहा है, वह भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए पहले से ही और भी अधिक तैयार होगा। यह वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उपाय करेगा। अगले दशक के दौरान अपनी यात्रा के लिए, हमने रिज़र्व बैंक को दक्षिण विश्व के लिए एक आदर्श केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने की दिशा में नीतिगत कार्रवाइयों से युक्त कार्यनीतियां तैयार की हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने संवृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति के लक्ष्य के साथ संरेखित होने के लिए निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखते हुए नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के आकलन पर टिप्पणी करते हुए, गवर्नर ने कहा कि वैश्विक संवृद्धि 2024 में अपनी गति बनाए रखेगी और वैश्विक व्यापार में उछाल के समर्थन से इसके आघात-सह बने रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन इस अवस्फीति यात्रा का अंतिम चरण कठिन हो सकता है। मुद्रास्फीति के विरुद्ध अपनी लड़ाई में केंद्रीय बैंक दृढ़ और आंकड़ों पर निर्भर बने हुए हैं।

मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि की इन स्थितियों का क्या अर्थ है?

गवर्नर ने कहा कि संवृद्धि और मुद्रास्फीति से संबंधित गतिविधियां हमारी उम्मीदों के अनुरूप ही सामने आ रही हैं। जब 2024-25 के लिए 7.2 प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी संवृद्धि साकार होगी, तो यह लगातार चौथा वर्ष होगा जब संवृद्धि दर 7 प्रतिशत या उससे अधिक होगी। हेडलाइन सीपीआई लगातार अवस्फीतिकारी प्रक्षेप पथ पर है। मौद्रिक नीति ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 2022-23 की पहली तिमाही और 2023-24 की चौथी तिमाही के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट से स्पष्ट है। आपूर्ति पक्ष की गतिविधियां और सरकारी उपायों ने भी हेडलाइन मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान दिया है।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति के बारे में बात करते हुए, गवर्नर ने उल्लेख किया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रणालीगत चलनिधि, अधिशेष से घाटे की स्थिति में पहुंच गई और जून की शुरुआत में फिर से अधिशेष में पहुंच गई है। रिज़र्व बैंक ने इसे परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी और परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालन के माध्यम से प्रबंधित किया। बैंकों द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) का उपयोग कम रहा और भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) मध्य के करीब रही, साथ ही सीडी, सीपी और खज़ाना-बिल पर प्रतिफल में कमी आई। रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को ₹2.11 लाख करोड़ अंतरित किए और आकस्मिक आरक्षित बफर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने कहा कि 2023-24 के वित्तीय परिणाम, बेहतर आस्ति गुणवत्ता, बेहतर प्रावधान, धारणीय पूंजी पर्याप्तता और बढ़ी हुई लाभप्रदता के साथ एक आघात-सह बैंकिंग प्रणाली का संकेत देते हैं, जो एनबीएफसी के मजबूत निष्पादन से परिलक्षित होता है। दोनों क्षेत्रों के लिए सकल अनर्जक आस्तियां कुल अग्रिमों के 3 प्रतिशत से कम रहीं। रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं से अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन को बढ़ाने तथा असुरक्षित खुदरा ऋण संवृद्धि और बैंक निधीयन पर एनबीएफसी की निर्भरता संबंधी चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया।

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने कहा कि न्यूनतर व्यापार घाटे, मजबूत सेवा निर्यात संवृद्धि और मजबूत विप्रेषण के कारण 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत के चालू खाता घाटे में कमी आने की संभावना है, जिसमें सेवा निर्यात सॉफ्टवेयर, कारोबारी सेवाओं और यात्रा द्वारा संचालित है। भारत विप्रेषण का सबसे बड़ा वैश्विक प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जिसकी 2024 में 15.2 प्रतिशत हिस्सेदारी होने की संभावना है। भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एफडीआई में अपनी बढ़त बरकरार रखी है, जिसमें मजबूत सकल एफडीआई और बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी जमाराशियों से निवल अंतर्वाह में वृद्धि शामिल है। 31 मई 2024 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि रिकॉर्ड 651.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो भारत के बाह्य क्षेत्र की आघात-सहनीयता और बेहतर होते संकेतकों को दर्शाता है, जिससे बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने का विश्वास सुनिश्चित होता है। पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-3
II. विनियमन	3
III. डीएसआईएम	3
IV. फिनटेक	3
V. सरकार का बैंकर	4
VI. मुद्रा जारीकर्ता	4
VII. प्रकाशन	4
VIII. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2024 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने 7 जून 2024 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियां

यह वक्तव्य (i) विनियमन; तथा (ii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है।

i) विनियमन

1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमाराशि की सीमा की समीक्षा

कों के पास अपनी आवश्यकताओं और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) पूर्वानुमानों के अनुसार थोक जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर प्रदान करने का विवेकाधिकार होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) के लिए वर्ष 2019 में थोक जमाराशि सीमा को '₹2 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मीयादी जमाराशि' के रूप में बढ़ाया गया था। समीक्षा करने पर, एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफ़बी के लिए थोक जमाराशि की परिभाषा को '₹3 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमाराशि' के रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमाराशि सीमा को आरआरबी के मामले में लागू '₹1 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमाराशि' के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। आवश्यक दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत निर्यात और आयात विनियमों का युक्तिकरण

फेमा 1999 के अंतर्गत प्रगतिशील उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर सीमापारीय व्यापार लेनदेन की बदलती गतिशीलता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात पर मौजूदा दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित युक्तिकरण का उद्देश्य परिचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, जिससे सभी हितधारकों को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिले। विनियमों और निदेशों के मसौदों को जून 2024 के अंत तक बैंक की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।

ii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक

3. डिजिटल भुगतान आसूचना (इंटेलिजेंस) प्लेटफॉर्म की स्थापना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले कतिपय वर्षों में डिजिटल भुगतान प्रणालियों में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना होगा। धोखाधड़ी की कई घटनाएं अनजान पीड़ितों को भुगतान करने या क्रेडेंशियल साझा करने के लिए प्रभावित करके की जाती हैं। जबकि भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (बैंक, एनपीसीआई, कार्ड नेटवर्क, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान ऐप) ग्राहकों को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए निरंतर आधार पर विभिन्न उपाय करते हैं, भुगतान प्रणालियों में नेटवर्क-स्तरीय आसूचना और वास्तविक समय डेटा साझा करने की आवश्यकता है।

अतएव, एक डिजिटल भुगतान आसूचना प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव है जो भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान आसूचना प्लेटफ़ॉर्म हेतु एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए एक समिति (अध्यक्ष: श्री ए.पी. होता, भूतपूर्व एमडी एवं सीईओ, एनपीसीआई) का गठन किया है। समिति द्वारा दो माह के भीतर अपनी सिफारिशें देने की आशा है।

4. ई-मैंडेट ढांचे के अंतर्गत स्व-पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) सुविधा के साथ फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आदि के लिए आवर्ती भुगतान को शामिल करना

(i) आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैंडेट के प्रसंस्करण के लिए 10 जनवरी 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया ढांचा, वर्तमान में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि जैसी निश्चित आवधिकता के साथ आवर्ती भुगतानों को सक्षम बनाता है। अब फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आदि में शेष राशि की पुनःपूर्ति जैसे भुगतानों जो ई-मैन्डेट ढांचे में आवर्ती प्रकृति के हैं, लेकिन उनकी कोई निश्चित आवधिकता नहीं है, को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस तरह के भुगतान आवश्यकतानुसार और जब भी आवश्यक हो, किए जाते हैं और इसलिए, उनकी पुनःपूर्ति समय विशिष्ट या राशि विशिष्ट नहीं होती है। ई-मैंडेट ढांचे के अंतर्गत, इस तरह के भुगतानों के लिए एक स्व-पुनःपूर्ति सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। यह स्व-पुनःपूर्ति तब शुरू होगी जब फास्टैग या एनसीएमसी में शेष राशि ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो जाएगी।

(ii) मौजूदा ई-मैंडेट ढांचे में, ग्राहक के खाते से वास्तविक डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले प्री-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता होती है। ई-मैंडेट ढांचे के अंतर्गत फास्टैग, एनसीएमसी आदि में शेष राशि की स्व-पुनःपूर्ति के लिए ग्राहक के खाते से किए गए भुगतानों के लिए इस आवश्यकता से छूट देने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

5. यूपीआई लाइट वॉलेट के स्व-पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) की शुरुआत - ई-मैंडेट ढांचे के अंतर्गत समावेशन

यूपीआई लाइट सुविधा वर्तमान में ग्राहक को अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में ₹2000/- तक लोड करने और वॉलेट से ₹500/- तक का भुगतान करने की अनुमति देती है। ग्राहकों को यूपीआई लाइट का निर्बाध उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, ग्राहक द्वारा यूपीआई लाइट वॉलेट को, शेष राशि के ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम होने पर, लोड करने के लिए स्व-पुनःपूर्ति सुविधा शुरू करके यूपीआई लाइट को ई-मैंडेट ढांचे के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। चूंकि इसमें निधि ग्राहक के पास ही रहती है (निधि उसके खाते से वॉलेट में चली जाती है), अतएव अतिरिक्त प्रमाणीकरण या पूर्व-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त प्रस्ताव से संबंधित दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

6. रिज़र्व बैंक हैकाथॉन HaRBInger 2024 - परिवर्तन के लिए नवाचार

भारतीय रिज़र्व बैंक समावेशी पहुंच और धोखाधड़ी को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय प्रणाली में विश्वास, सुरक्षा, संरक्षा और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। प्रौद्योगिकी ने वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान करने और उसे रोकने के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने की प्रभावी संभावनाओं का पता लगाया है, जिससे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित हुई है।

बैंक अपने वार्षिक हैकाथॉन के माध्यम से पहचाने गए संकेंद्रित क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करता रहा है। हमारे वैश्विक हैकाथॉन के तीसरे संस्करण, "HaRBInger 2024 - परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत दो व्यापक विषयों अर्थात 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग अनुकूल होना' के साथ की जाएगी। वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ-साथ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के

लिए समावेशिता को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से समाधान, HaRBInger 2024 के हिस्से के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे। इस संबंध में आगे की जानकारी शीघ्र ही जारी की जाएगी।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 49वीं बैठक 5 से 7 जून 2024 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 21 जून 2024 को, अर्थात्, एमपीसी की बैठक के 14वें दिन, बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

पश्चिम क्षेत्र के चुनिंदा बड़े शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड निदेशकों के लिए सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 21 जून 2024 को अहमदाबाद में पश्चिमी क्षेत्र के बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के निदेशकों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'यूसीबी में अभिशासन - सतत संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. भी भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण , विनियमन और प्रवर्तन विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। गवर्नर ने उचित ऋण मानकों और चलनिधि संबंधी जोखिम प्रबंधन का आग्रह करते हुए सुदृढ़ अभिशासन, प्रभावी बोर्ड तथा अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन जैसे मजबूत आश्वासन कार्यों पर बल दिया। उप गवर्नर स्वामीनाथन ने वित्तीय समावेशन में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका और अधिक आघात-सहनीयता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस सम्मेलन में आईटी, साइबर सुरक्षा, अभिशासन और विनियामक अपेक्षाओं को शामिल किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशकों के साथ परस्पर वार्तालाप के साथ इसका समापन हुआ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफ़सी) के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए आवेदन आमंत्रित करना

रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2024 को एनबीएफसी क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) के लिए 21 मार्च 2024 को जारी अपने "विनियमित संस्थाओं के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए बहुप्रयोजनीय ढांचा" के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए। इस ढांचे में एसआरओ के लिए उद्देश्यों, उत्तरदायित्वों, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानकों और आवेदन प्रक्रिया का उल्लेख है। विशेष रूप से, एनबीएफसी क्षेत्र के लिए, एसआरओ में मुख्य रूप से निवेश और क्रेडिट कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और एनबीएफसी-फैक्टर शामिल होने चाहिए, जिसमें आधार स्तर में छोटे एनबीएफसी से कम से कम 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो। एसआरओ को मान्यता प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर ₹2 करोड़ की निवल मालियत प्राप्त करनी होगी और इसे अधिकतम दोनिरंतर आधार पर बनाए रखना होगा। एनबीएफसी क्षेत्र के लिए

एसआरओ को मान्यता दी जाएगी और आवेदन 30 सितंबर 2024 तक प्रस्तुत करना होगा।

III. डीएसआईएम

18वां सांख्यिकी दिवस सम्मेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 जून 2024 को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के आधुनिक भारतीय सांख्यिकी में योगदान की स्मृति में 'राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस' समारोह के भाग के रूप में 'आरबीआई सांख्यिकी@90' विषय के साथ अपना 18वां वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन आयोजित किया। अपने उद्घाटन भाषण में, श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैसे-जैसे आरबीआई अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है, आरबीआई प्रौद्योगिकी, एआई और एमएल के माध्यम से सांख्यिकीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। प्रमुख व्याख्यानों में वैयक्तिकृत स्वास्थ्य आंकड़ों के एकीकरण पर प्रोफेसर नीलांजन चटर्जी और लिंग-समावेशी आंकड़ों की प्रणालियों पर प्रोफेसर सोनलदे देसाई के व्याख्यान शामिल थे। आंतरिक अनुसंधानकर्ताओं ने सैद्धांतिक और लागू सांख्यिकी पर तीन अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। समापन सत्र में, डॉ. ओ.पी.मल्ल, कार्यपालक निदेशक ने रिज़र्व बैंक में सांख्यिकी संबंधी गतिविधियों की भावी योजना के बारे में बताया। पूर्ण विवरण पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. फिनटेक

विनियामक सैंडबॉक्स

'वित्तीय धोखाधड़ियों का बचाव और शमन' विषय के साथ विनियामक सैंडबॉक्स के चौथे कोहार्ट में , 5 जनवरी 2023 को घोषणा किए अनुसार छह संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया। परीक्षण चरण को पूरा करने के बाद, तीन उत्पादों को व्यवहार्य पाया गया: तत्काल लेन-देन की निगरानी के लिए बहवान साइबरटेक का "रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम", लॉगिन और भुगतान प्रपत्रों को सुरक्षित करने के लिए साइबरसेक का "नैपआईडी फ्रॉड फिल्टर लेयर" और मोबाइल डेटा का उपयोग करके जोखिम-रैंकिंग वाले ऋण आवेदकों के लिए ट्रस्टिंग सोशल का "ट्रस्टिंग सोशल क्रेडिट इनसाइट (सीआई)"। ये संस्थाएँ चौथे समूह से बाहर निकल चुकी हैं और अब उनके उत्पादों को विनियमित संस्थाओं द्वारा अपनाया जा सकता है। यह कोहार्ट अब ईमेल के ज़रिए 'ऑन टैप' आवेदनों के लिए खुला है।

HaRBInger 2024

रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2024 को अपने तीसरे वैश्विक हैकथॉन, "HaRBInger 2024 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" की घोषणा की थी, जिसमें "शून्य वित्तीय धोखाधड़ी" और " दिव्यांग अनुकूल" विषय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी-चालित समाधान विकसित करने के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था। विषयों में तत्काल धोखाधड़ी का अनुमान और पता लगाना, सीबीडीसी लेनदेन में लेनदेन की गुमनामी सुनिश्चित करना, अवैध धन वाहक बैंक खातों की पहचान करना और दृष्टिबाधित लोगों के लिए बैंक नोटों की सटीक पहचान करना जैसे समस्या विवरण शामिल हैं। प्रतिभागियों को उद्योग विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने, अपने समाधानों को प्रख्यात निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने और पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक समस्या विवरण के लिए विजेता को 40 लाख रुपये प्राप्त होंगे, सर्वोत्तम संपूर्ण महिला टीम 20 लाख रुपये जीतेंगे और चयनित टीमों को प्रोटोटाइप विकास के लिए 5 लाख रुपये का स्टाइपेंड प्राप्त होगा। पंजीकरण 7 जून 2024 को शुरू हुआ। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 जून 2024 से श्री अर्णब कुमार चौधरी को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व, श्री चौधरी पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। श्री चौधरी को भारतीय रिज़र्व बैंक में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया है। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यनीति, बजट, लेखांकन और निर्गम विभाग के क्षेत्र में कार्य किया है। उन्होंने कई समितियों और कार्य दलों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है तथा नीति निर्माण में योगदान दिया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री चौधरी 1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, 2. विदेशी मुद्रा विभाग, 3. अंतरराष्ट्रीय विभाग का कार्यभार संभालेंगे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2024 से श्रीमती चारुलता एस कर को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व, श्रीमती कर मानव संसाधन प्रबंध विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थीं। श्रीमती कर को रिज़र्व बैंक में भुगतान एवं निपटान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकारी बैंकिंग, आंतरिक लेखा और मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्रों में कार्य करने का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बीआईएस के कई कार्य दल में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया है और अन्य आंतरिक और बाह्य समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती कर 1. संचार विभाग, 2. मानव संसाधन प्रबंध विभाग, 3. सूचना का अधिकार (प्रथम अपीलीय प्राधिकरण) का कार्यभार संभालेंगी।

V. सरकार का बैंकर

राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना

रिज़र्व बैंक ने 28 जून 2024 को विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों को प्रदान किए गए वित्तीय निभाव की सीमाओं की समीक्षा की।

रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समूह, जिसमें चुनिंदा राज्य वित्त सचिव शामिल है, की सिफारिशों के आधार परऔर हाल के वर्षों से राज्यों के व्यय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 01 जुलाई 2024 से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं में संशोधन किया जाए। राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए संशोधित समग्र अर्थोपाय अग्रिम सीमा ₹47,010 करोड़ की मौजूदा सीमा की तुलना में ₹60,118 करोड़ होगी। राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश, नीलामी ट्रेजरी बिलों (एटीबी) सहित विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेशों के आधार पर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ लेना जारी रख सकते हैं।

VI. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट वापस लेने की स्थिति जारी की। डेटा के अनुसार 28 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में मौजूद ₹ 2000 मूल्य के बैंकनोट कम होकर ₹ 7581 करोड़ हो गए हैं। इस प्रकार 19 मई 2023 को संचलन में मौजूद ₹ 2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट का 97.87 प्रतिशत वापस कर दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VII. प्रकाशन

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 27 जून 2024 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 29वां अंक जारी किया, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता और वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिम संबंधी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का जून 2024 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में 5 जून 2024 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, तीन भाषण, तीन आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। तीन आलेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति

ii) भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधि प्रवाह 2021-22

iii) भारत का निक्षेप बीमा @60: पुनरावलोकन और संभावना

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

जून 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1	शुक्रवार, 14 जून 2024 को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	परिवार की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण - मई 2024
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण - मार्च 2024 (वार्षिक बीएसआर-1)
4	मई 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें - जून 2024
6	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण - मई 2024
7	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशियां - मार्च 2024 (वार्षिक बीएसआर-2)
8	समष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण - मई 2024

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।